रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22062026-273727
CG-DL-E-22062026-273727

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3192] नई दिल्ली, सोमवार, जून 22, 2026/आषाढ 1, 1948
No. 3192] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 22, 2026/ASADHA 1, 1948

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2026

का.आ. 3324(अ).— जबकि, केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली मास्टर प्लान (दि० मु० यो०)-2021 / जोनल विकास योजना (जेडडीपी) क्षेत्र पी-I (नरेला उप-नगर) में नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में किए जाने हेतु प्रस्तावित कतिपय संशोधनों को, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 12.09.2025 के पत्र संख्या पीएलजी/एनपी/0001/2025/सीएलयू/-ओ/ओ निदेशक (पीएलजी) नरेला परियोजनाओं के माध्यम से, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के उपबंधों के अनुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण में सार्वजनिक सूचना के रूप में प्रकाशित किया गया था तथा उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (3) के अंतर्गत अपेक्षित उक्त सूचना की तिथि से तीस दिनों के भीतर आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. जबकि, प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में निर्धारित अवधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ, अतः जांच एवं सुनवाई बोर्ड (बीओईएच) की बैठक आयोजित किया जाना अपेक्षित नहीं था।

3. जबकि, केंद्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के उपरांत दिल्ली मास्टर प्लान (एमपीडी)-2021/जोनल विकास योजना (जेडडीपी) क्षेत्र पी-I में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

4. अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी दिल्ली मास्टर प्लान (एमपीडी)-2021/जोनल विकास योजना (जेडडीपी) क्षेत्र पी-I में निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन:

जोन पी-I में स्थित निम्नलिखित भूमि क्षेत्रों का भूमि-उपयोग नीचे दिए गए विवरणानुसार परिवर्तित किया जाता है :-

स्थान	**कार्य-क्षेत्र**	**दिल्ली मास्टर प्लान 2021 /जेडडीपी 2021 जोन पी-I के अनुसार मौजूदा भूमि उपयोग**	**भूमि उपयोग को बदल दिया गया**	**सीमाएं**
1	2	3	4	5
सेक्टर जी-3/जी-4 नरेला	12.18 हेक्टेयर (30.1 एकड़)	वाणिज्यिक	सार्वजनिक अर्ध-सार्वजनिक	उत्तर - डीडीए खाली पड़ी भूमि दक्षिण - यूईआर-II के ग्रीन बफर के साथ 30 मीटर प्रस्तावित सड़क पूर्व - 30 मीटर प्रस्तावित सड़क पश्चिम - 60 मीटर सड़क के साथ डीडीए के स्वामित्व में जो भूमि नहीं है
सेक्टर जी-3/जी-4 नरेला	18.17 हेक्टेयर (44.9 एकड़)	आवासीय	सार्वजनिक अर्ध-सार्वजनिक	उत्तर - मेट्रो विहार कॉलोनी के साथ 30 मीटर प्रस्तावित सड़क दक्षिण - डीडीए खाली जमीन पूर्व - 30 मीटर प्रस्तावित सड़क पश्चिम – डीएसआईआईडीसी भूमि 60 मीटर सड़क के साथ ।

[फा. सं. के-13011/6/2025-डीडी-I]

यू के तिवारी, अवर सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2026

S.O. 3324(E).— Whereas, certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi (MPD)-2021 / Zonal Development Plan (ZDP) of Zone P-I (Narela Sub City), regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India Extraordinary, as public Notice vide F. No.:PLG/NP/0001/2025/CLU/-O/o DIRECTOR (PLG) NARELA PROJECTS dated 12.09.2025 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/ suggestions as required by sub- section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of said notice.

2. Whereas, no objections/ suggestions were received with regard to the proposed modifications within the stipulated time period, therefore the meeting of Board of Enquiry and Hearing (BoEH) was not required.

3. Whereas, the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi (MPD)-2021/ Zonal Development Plan (ZDP) of Zone P-I.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi (MPD)-2021/ Zonal Development Plan (ZDP) of Zone P-I with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

Modifications:

The Land Use of the following areas of land falling in Zone P-I is changed as per description listed below: -

Location	**Area**	**Existing Land Use as per MPD 2021/ ZDP 2021 of Zone P-I**	**Land Use changed to**	**Boundaries**
1	2	3	4	5
Sector G-3/ G-4 Narela	12.18 ha (30.1 acres)	Commercial	Public Semi-Public	North-DDA Vacant Land South-30 m proposed road along green buffer of UER-II East-30 m proposed road West-Land not in ownership of DDA along 60 m road
Sector G-3/ G-4 Narela	18.17 ha (44.9 acres)	Residential	Public Semi-Public	North-30 m proposed road along Metro Vihar colony South-DDA Vacant Land East- 30 m proposed road West-DSIIDC land along 60 m road.

[F. No. K-13011/6/2025-DD.I]

U K TIWARI, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA